नम्बर / वर्ष 258 / 2023 अनवानी सीताराम बनाम अजू आदि

तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
23/9/25	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् जी पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली दि० 17/10/25 को पेश हो	
17/10/25	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष की बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 30/10/25 को पेश हो	
30/10/25	पत्रावली पेश हुई प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादी संख्या 1 /प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की अनवानी वाद में वादी संख्या 1 सीताराम पुत्र हजारीराम का देहान्त दिनांक 23.05.2025 को हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 के अनुसार ही है प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मृतक सीताराम वादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर उसकी जायज वारिसान को पक्षकार बनाये जाने के आदेश फरमावे। प्रतिवादीगण/अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बिना दस्तावेजात के पेश किया गया है जिसमें मृत्यू व वारिस प्रमाण पत्र संलग्न नही किये गये है बिना दस्तावेजात के पक्षकार बनाया जाना विधि सम्मत नही है वादी संख्या 1 को मृतक बताकर आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का प्रार्थना पत्र शकुन्तला पत्नी सीताराम ने पेश किया है जिस पर न्यायालय से अन्य दो पक्षकारान बतौर वादी बनाया जाना चाहा गया है वह विधि सम्मत नही है प्रार्थना पत्र मृतक के सभी वारिसान के तरफ से पेश किया जाना चाहिये था सभी वारिसान की ओर प्रार्थना पत्र पेश नही किया जाना विधिसम्मत नही है अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी दस्तावेजात के अभाव में व कानुन सम्मत सभी पक्षकारन की और से पेश नही करने के कारण खारिज किया जाकर वाद वादी खारिज फरमाया जावे। हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया वाद खाता विभाजन का है जिसमें प्रार्थी शकुन्तला पत्नि सीताराम ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी पेश कर निवेदन किया की वादी संख्या 1 सीताराम का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान वाद की मद संख्या 2 में अकितानुसार है इसलिये सीताराम का नाम कलमजन पर उसके जायज वारिसान को पक्षकार बनाया जावे वादी संख्या 1 सीताराम के जायज वारिसान प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र के अनुसार पत्नी व दो पुत्र है प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी केवल वादी संख्या 1 सीताराम की पत्नी के द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर प्रस्तुत किया गया है वह भी बिना वारिस प्रमाण पत्र के फिर भी प्रार्थीया पर [illegible] करते हुए प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार वारिस मान भी लिये [illegible] दो पुत्रो की और से ना तो प्रार्थना पत्र में [illegible] और से कोई प्लीडर उपस्थित आया है ऐसी सुरत में वादी संख्या 1 के सभी वारिसान को पक्षकार नही बनाया जा सकता है	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:36:06 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

प्रार्थीया शकुन्तला पत्नी सीताराम का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी स्वीकार करने की स्थिति में वादी संख्या 1 सीताराम के शेष वारिसान की अनुपस्थिति में वाद अवैट हो जाने की स्थिति हो जाती है

वादी संख्या 1 सीताराम की मृत्यू के उपरान्त उसके सभी जायज वारिसान के द्वारा वादी संख्या 1 सीताराम के स्थान पर पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र पेश किया जाना चाहिये था मात्र एक वारिस के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का पेश करना विधि सम्मत नही है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी संख्या 1 सीताराम के देहान्त होने के बाद सीताराम की पत्नी शकुन्तला जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर सीताराम के सभी वारिसान को पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया गया है जो विधि सम्मत नही है सभी वारिसान के द्वारा वादी संख्या 1 के स्थान पर पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र पेश किया जाना आवश्यक था अथवा तरतीबी प्रतिवादी बनाये जाने का अनुतोष किया जा सकता था वादी संख्या 1 के स्थान पर पक्षकार बनने के लिये सभी को उपस्थित होकर निवेदन किया जाना आवश्यक है।

अतः वादी संख्या 1 सीताराम के देहान्त होने पर सीताराम के सभी वारिसान के द्वारा पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र पेश नही करने के कारण वाद वादी अवैट होने के कारण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अपूर्ण होने के कारण स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है एवं सीताराम के देहान्त होने पर सभी पक्षकार को पक्षकार नही बनाने के कारण वादी का वाद भी अवैट होने के कारण वाद वादी खारिज किया जाता है वादी सभी पक्षकारो का समायोजित कर पुनः वाद पेश करने के लिये स्वतन्त्र रहेगा पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 30/10/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया।

Rahul

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:36:06 IST
Reason: SelfAttested